न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/132/2019

विनय शर्मा पुत्र स्व0 चरनलाल शर्मा, मै0 फोर्ट फिलिंग स्टेशन,सेवर (भरतपुर)

बनाम

अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 15.01.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री विनय शर्मा पुत्र स्व0 चरनलाल शर्मा, मै0 फोर्ट फिलिंग स्टेशन,सेवर (भरतपुर) ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 04.11.2019 के द्वारा अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/1124 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/ 55 दिनांक 15.01.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने का निवेदन किया है । अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के पत्र क्रमांक/55 दिनांक 15.01.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं भिजवा दी गई हैं । अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/53 दिनांक 14.01.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। स्पष्ट है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अति0 जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.01.16 16:13:44 IST
Reason: SelfAttested